

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :-282 / 2018-19

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

1. सुकरा मुन्डा वो 2. सिनवा संगी
असरिता गुड़िया

- विक्रेता
- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित														
01.07.19	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक 1. सुकरा मुन्डा पिता स्व0 गोडो पाहन वो 2. सिनवा संगी पिता स्व0 डुन्डा पाहन ग्राम-डुमरदगा, थाना खूँटी, जिला खूँटी ने असरिता गुड़िया पति अरबिन्द आईन्द ग्राम-डुमरदगा, थाना-खूँटी, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" style="width: 100%; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं0</th> <th>खाता नं0</th> <th>खेसरा सं0</th> <th>रकबा(एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="3">डुमरदगा</td> <td rowspan="3">232</td> <td rowspan="3">25</td> <td>1001</td> <td>0.20</td> </tr> <tr> <td>1005</td> <td>0.15</td> </tr> <tr> <td></td> <td>0.35</td> </tr> </tbody> </table> <p>उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र/खतियान एवं लगान की रसीद सं0 0781080146 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, खूँटी के पत्रांक 263 दिनांक 16.03.19 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम दुनुआ पाहन वैगराह हैं। पंजी II के अनुसार दुनुआ पाहन वैगराह के नाम भूमि का रकबा 128.35 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 42.78 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2018-19 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 7317.00(सात हजार तीन सौ सतरह)रु0 प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास कुल भूमि अवशेष 42.43 एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना खूँटी के निवासी हैं एवं एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, खूँटी ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, खूँटी से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण 1. सुकरा मुन्डा पिता स्व0 गोडो पाहन वो 2. सिनवा संगी पिता स्व0 डुन्डा पाहन को असरिता गुड़िया पति अरबिन्द आईन्द के साथ ग्राम डुमरदगा के खाता सं0 25 खेसरा संख्या 1001, 1005 का कुल रकबा 0.35 एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 7317.00(सात हजार तीन सौ सतरह)रुपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, खूँटी के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">01/07/19</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)	डुमरदगा	232	25	1001	0.20	1005	0.15		0.35	
ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकबा(एकड़ में)												
डुमरदगा	232	25	1001	0.20												
			1005	0.15												
				0.35												